प्रेस विज्ञप्ति
20.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 08.05.2024 को मेसर्स ई.एस. डी. एल्युमिनियम लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 आरोपियों अर्थात मेसर्स ई.एस. डी. एल्युमिनियम लिमिटेड, सुदीप दत्ता, आशीष भट्टाचार्य, जयेश शाह, हिरेन शाह और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 13.06.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई), विशेष कार्य शाखा (एसटीबी), मुंबई द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से ईडीएएल के बैंक धोखाधड़ी के संबंध में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए धन के दुरुपयोग और डायवर्जन, चिह्नित संस्थाओं के साथ लेनदेन और आपराधिक विश्वासघात करके एसबीआई को रुपये 338.52 करोड़ का गलत नुकसान करने की प्राप्त शिकायत के आधार पर मेसर्स एस्स डी एल्युमिनियम लिमिटेड (ईडीएएल), इसके अध्यक्ष सुदीप दत्ता और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि सुदीप दत्ता और ईडीएएल के प्रबंधन ने जयेश शाह और हिरेन शाह द्वारा सुगम फर्जी बिक्री और खरीद के माध्यम से कंपनी की बैलेंस शीट को बढ़ाने की साजिश रची थी। इस हेरफेर ने कंपनी को 2012-2016 के बीच बैंकों से रुपये 195 करोड़ के नए ऋण सुरक्षित करने और मौजूदा सुविधाओं को रुपये 151.30 करोड़ तक बढ़ाने में सक्षम बनाया। ऋण निधि का उपयोग मौजूदा ऋण दायित्वों को बनाए रखने के लिए किया गया और विदेशी निवेश सहित व्यक्तिगत संवर्धन के लिए डायवर्ट किया गया।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत मुंबई और दमन में अचल संपत्तियों यानी फ्लैटों के रूप में रुपये 11.19 करोड़ की अपराध आय को अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।

****